

फर्द अहकाम
(नियम 26)

अज अदालत

उपखण्ड मजिस्ट्रेट एवं उपखण्ड अधिकारी

मुकाम छ

मोहनी देवी

बनाम

रेवन्तराम वगै.

किस्म मुकदमा राजस्व प्रार्थना पत्र
धारा 212 RTA

नंबर.....41.....

सन - 2020

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स	नम्बर व तारीख अन्तर्गत जो इस की तामील में हुए
31.08.2020	<p>यह राजस्व प्रार्थना पत्र प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री लक्ष्मीनारायण आचार्य द्वारा पेश किया गया। सरिस्ते से रिपोर्ट हुई। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रार्थी अधिवक्ता को एकतरफा सुना गया। अन्तरिम स्थगन पर प्रार्थना पत्र में दर्ज तथ्यों शपथ पत्र व संलग्न रिकार्ड के आधार पर प्रथम दृष्टया मामला एवं सुविधा का संतुलन प्रार्थी के पक्ष में प्रतीत होता है। अतः विवादित भूमि पर अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा बहक खिलाफ अप्रार्थी इस आशय की जारी की जाती है कि तहसील छतरगढ़ के राजासर भाटियान बारानी का खसरा नम्बर 786 में 51.10 बीघा बारानी भूमि में 1/2 हिस्सा भूमि पर अप्रार्थीगण किसी प्रकार की दखलअंदाजी न करें व राजस्व रिकॉर्ड एवं मौका की यथास्थिती आगामी आदेश तक बनाकर रखी जावें।</p> <p>अप्रार्थीगण को उसमें कोई आपत्ति हो तो आगामी पेशी पर असालतन या वकालतन उपस्थित होकर पेश करें। तहरीर जारी हो। पत्रावली वास्ते तलबी आईन्दा दिनांक 12.10.2020 को पेश हो।</p> <p style="text-align: right;">उपखण्ड अधिकारी छतरगढ़</p>	
7/9/20	<p>पत्रावली प्रार्थीयां के प्रार्थनापत्र पर पेशी में ली गई। प्रार्थीयां के प्रार्थना पत्र पेश कर उपरोक्त वादपत्र मय प्रार्थनापत्र निद्रा करने का निवेदन किया जिसे स्वीकार कर शामिल पत्रावली किया गया। अतः वादपत्र मय प्रार्थनापत्र इसी स्तर पर निद्रा कर नम्बर के काम होकर दफ्तर दखिल हो।</p> <p style="text-align: right;">उपखण्ड अधिकारी छतरगढ़ (बीकानेर)</p>	

श. नि. मोहनी दे

6

